



क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी-2932

दिनांक: 27/6/2023

### सार्वजनिक विज्ञापित

ग्राम नगरियावाला तहसील सांगानेर के ख.न. 569 रकबा 0.63 हैक्टे. ख.न. 570 रकबा 0.59 हैक्टे. ख.न. 571 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 579 रकबा 0.34 हैक्टे. ख.न. 580 रकबा 0.08 हैक्टे. ख.न. 581 रकबा 0.27 हैक्टे. खातेदार राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ख.न. 582 रकबा 0.29 हैक्टे. ख. न. 583 रकबा 0.22 हैक्टे. ख.न. 663 रकबा 0.10 हैक्टे. ख.न. 664 रकबा 0.18 हैक्टे. ख.न. 666 रकबा 0.12 हैक्टे. खातेदार नारायण पुत्र काना हि. 1/4, रामकुवार पुत्र काना हि. 1/4, रामपाल पुत्र काना हि. 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र काना हि. 1/4 ख.न. 577 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 578 रकबा 0.18 हैक्टे. ख.न. 584 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 585 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 586 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.न. 587 रकबा 0.02 हैक्टे. ख.न. 588 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 589 रकबा 0.13 हैक्टे. 590 रकबा 0.12 हैक्टे. ख.न. 591 रकबा 0.09 हैक्टे. ख.न. 592 रकबा 0.04 हैक्टे. ख.न. 593 रकबा 0.04 हैक्टे. ख.न. 594 रकबा 0.08 हैक्टे. ख.न. 595 रकबा 0.05 हैक्टे. ख.न. 596 रकबा 0.07 हैक्टे. ख.न. 662 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 665 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 667 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.न. 668 रकबा 0.03 हैक्टे. खातेदार गोपाल हि. 1/5 चन्दा हि. 1/5 छोटु हि. 1/5 पांचू हि. 1/5 पुत्रान स्व. श्री गणेश, नारायणी पत्नी स्व. गणेश हि. 1/5 ख.न. 597 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 598 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 599 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.न. 600 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.न. 601 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 602 रकबा 0.12 हैक्टे. ख.न. 603 रकबा 0.22 हैक्टे. ख.न. 604 रकबा 0.30 हैक्टे. ख.न. 655 रकबा 0.01 हैक्टे. खातेदार कानी पत्नी स्व. कल्याण हि. 1/9, बाबूलाल पुत्र कल्याण हि. 1/9, बालूराम पुत्र कल्याण हि. 1/9, मंगला पुत्र दयाला हि. 1/3, छोटा पुत्र दयाला हि. 1/3 जाति मीणा की भूमि की 90बी प्रकरण संख्या 270/2003 का निर्णय दिनांक 13.01.03 को पारित किया गया था। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर के नाम से सृजित की जा चुकी है।

वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर सृजित योजना के नियमन हेतु विकास समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस क्रम में राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक प. 1(4)भू.अ./2023-24/211 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा उक्त योजना के नियमन की कार्यवाही करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में योजना के मानचित्र अनुमोदन कर लीजडीड जारी किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

017-  
उपायुक्त जयपुर-9  
जयपुर

प्रतिनिधी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

017-  
उपायुक्त जयपुर-9  
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102619

दिनांक: 26/06/2023

लोक सूचना


श्री गौरव पंवार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार पंवार हि. 19/91, जाति वाल्मिकी, निवासी-जी-141, श्याम नगर, जयपुर। ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का रिसोर्ट प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामपुरा उंती, सांगानेर (जयपुर)	श्री गौरव पंवार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार पंवार हि. 19/91, जाति वाल्मिकी, निवासी-जी-141, श्याम नगर, जयपुर।	131	9500	0.95
कुल					0.95

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **26-06-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-122

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-1817

दिनांक 27/6/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	डॉ. सविता शोमे पत्नी स्व. डॉ. राम कृष्ण गोतम	डॉ. राम कृष्ण गोतम पुत्र श्री आर.सी. गोतम एवं डॉ. सविता शोमे पत्नी श्री ए.बी. शोमे	46	166.50 वर्गमीटर	निजी खातेदारी	शुभांगन (पी.जी.एफ.)	नाम हस्तांतरण व लीज होल्ड से फी-होल्ड लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

		बलजीत सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह, भू.स. 82-ए श्री जगतार सिंह गिल पुत्र श्री सुरजीत सिंह गिल	पार्ट एवं 82-ए नार्थ पार्ट					अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
6	श्री जगदेव सिंह सांगा पुत्र श्री सतवत सिंह	भू.सं. 74 श्रीमती नवदीप कौर पत्नी श्री गुरमुख सिंह गिल, भू.सं. 74-ए श्रीमती नवरीत पत्नी श्री जगदीप सिंह	74 एवं 74-ए	2012.74	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
7	श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांगा	भूखण्ड संख्या 73-बी जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड श्री रमा कान्त शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा भू.सं. 73 श्री निर्मय गिल पुत्र श्री अजेव सिंह, भू.स. 73-ए श्रीमती रणजीत कौर पत्नी श्री सोहन सिंह	73, 73-ए एवं 73-बी	2979.81	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
8	श्रीमती मंजु देवी पत्नी श्री शिव कुमार	श्रीमती मंजुलता सिंघल पत्नी श्री शिव कुमार	03	328.47	विवेकानन्द	पश्चिम विहार विस्तार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड के आधार पर।
9	श्री अशोक शर्मा पुत्र स्व. श्री रामराय शर्मा	श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री राम राय शर्मा	171	75	बुनियादी विकास	चन्द्र नगर-ए	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर।
10	श्री धनन्जय कुमार शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा	श्री धनन्जय कुमार शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा	94	128	महाराणा प्रताप	श्री बालाजीधाम	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर
11	श्रीमती सुनीता यादव पत्नी श्री शीशराम यादव	श्री पंकज सिंह जादौन पुत्र श्री पुत्र श्री शिशपाल सिंह	216	88.88	महाराणा प्रताप	श्री बालाजीधाम	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर
12	श्रीमती सुनीता यादव पत्नी श्री शीशराम यादव	श्री मूलराज सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह	264	88.88	महाराणा प्रताप	श्री बालाजीधाम	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर

8d-  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा, जयपुर (प्रथम)  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।  
क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी- 663

दिनांक:- 27/6/23

-सार्वजनिक सूचना:-

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री दुर्गेश खण्डेलवाल/ललित प्रसाद खण्डेलवाल (श्री लक्ष्मी गू0 नि0 स0 स0 लि0 की योजना-बजरंग कॉलोनी) मूल दस्तावेज गुम होने के संबंध में।	5एबी	133.33
2	संगीता देवी/भूपेन्द्र सिंह (बाबा आर एन गौड गू0 नि0 स0 स0 लि0 की योजना-द्रोणपुरी)	50	374.65

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापित का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2021 में विज्ञापित कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11  
जयपुर, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटनी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अरिहन्त पटावरी पुत्र श्री विमल पटावरी	श्रीमती यतन देवी पत्नी श्री गौरी शंकर पटावरी	67	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, शपथ पत्र, वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
2.	वी. लोढा एण्ड कंपनी जरिये पार्टनर अनिल सिंघवी पुत्र श्री नरपत चन्द सिंघवी	श्री हरी बाबू अग्रवाल पुत्र स्व. श्री नरोत्तम कुमार अग्रवाल	59	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र, वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पार्टनरशिप डीड
3.	वी. लोढा एण्ड कंपनी जरिये पार्टनर अनिल सिंघवी पुत्र श्री नरपत चन्द सिंघवी	श्री हरी बाबू अग्रवाल पुत्र स्व. श्री नरोत्तम कुमार अग्रवाल	106	202.77	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र, वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पार्टनरशिप डीड
4.	वी. लोढा एण्ड कंपनी जरिये पार्टनर अनिल सिंघवी पुत्र श्री नरपत चन्द सिंघवी	श्री हरी बाबू अग्रवाल पुत्र स्व. श्री नरोत्तम कुमार अग्रवाल	23	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण एवं पार्टनरशिप डीड
5.	राजेंद्र कुमार सिंघल पुत्र श्री श्याम स्वरूप अग्रवाल	कृष्णा सिंघल पत्नी श्री आर.के सिंघल	16	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र, वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पार्टनरशिप डीड
6.	श्री नरपत चंद सिंघवी पुत्र श्री के.सी. सिंघवी	श्री नरपत चंद सिंघवी पुत्र श्री के.सी. सिंघवी	221	159.16	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, शपथ पत्र
7.	वी. लोढा एण्ड कंपनी जरिये पार्टनर अनिल सिंघवी पुत्र श्री नरपत चन्द सिंघवी	श्रीमती बाणी तिवाडी पत्नी श्री दीपक तिवाडी	158	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र , पार्टनरशिप डीड
8.	श्री अनिल सिंघवी पुत्र श्री नरपत चन्द सिंघवी	श्री अनिल सिंघवी पुत्र श्री नरपत चन्द सिंघवी	160सी	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, शपथ पत्र ।

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2023/डी- 1411 दिनांक 28/06/23

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योज. ना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	सुरेश बिश्नोई पुत्र श्री किशन बिश्नोई	सुरेश बिश्नोई पुत्र श्री किशन बिश्नोई	119	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, शपथ पत्र
2.	मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री गोपाल लाल चौधरी	मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री गोपाल लाल चौधरी	117	133.67	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, शपथ पत्र
3.	रतन कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोड मल शर्मा	रतन कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोड मल शर्मा	162	156.94	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, शपथ पत्र
4.	श्री सुशीला देवी पत्नी श्री रमेश चन्द	राज कुमार शर्मा पुत्र श्री भैरू राम शर्मा	141	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र
5.	श्री अमित खण्डेलवाल पुत्र श्री श्याम लाल खण्डेलवाल	श्रीमती विधि कटेवा पत्नी सुपुत्री श्री मनोज कटेवा	124	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार डी ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, शपथ पत्र एवं विक्रय पत्र
6.	श्री विनोद गुप्ता पुत्र श्री ताराचंद गुप्ता	श्रीमती सरिता कंवर पत्नी श्री गोकुल सिंह राव	51-ए (N.P)	75.55	हसनुपरा 'ए' गृह निर्माण सहकारी समिति लि	शिव विहार विस्तार	उपविभाजन/नाम हस्तांतरण/फ्री होल्ड लीजडीड	विक्रय पत्र, रजि. हक त्याग

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2023/डी-1382 दिनांक 26/06/23

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 2943

दिनांक:- 27/6/2023

## सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	428	193.33	ओरियन्टल आर्केड (निजी खातेदारी)	श्रीमती ज्योति सिंह पुत्री श्री जे.बी.सिंह	श्री सुशील वतवानी पुत्र श्री एस.आर. वतवानी	अपंजीकृत मु.आम, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

21/7-

उपायुक्त जोन-9

उपायुक्त जविप्रा-जयपुर  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

21/7-

उपायुक्त जोन-9  
उपायुक्त जविप्रा-जयपुर  
जविप्रा, जयपुर





दिनांक:- 28/6/23

क्रमांक: जयपुर/उपग्रहण वान-1/2023/डी-284

जनसम्पर्क अधिकारी  
जयपुर

**आम सूचना**

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	संख्या	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जयपुर की योजना	योजना का नाम	स्वा. नि.स.के लिए आवेदन किया गया	पट्टा	जयपुर इलाका-1	श्रीमती विरदी देवी, श्री रमेश चन्द, श्री शिव प्रसाद, गणेश व धनी	354	जयपुर	इलाका-1	पट्टा	जयपुर इलाका-1	क.स. इलाका-1
1.	श्रीमती विरदी देवी, श्री रमेश चन्द, श्री शिव प्रसाद, गणेश व धनी	354	जयपुर	इलाका-1	पट्टा	जयपुर इलाका-1	क.स. इलाका-1							

उपग्रहण वान-1  
जयपुर, जयपुर।



सांख्यिक सूचना

क्रमांक-जयिमा/उधा./जोन-14/2023/डी-1463

निम्न मूखण्डधारिणी द्वारा दर्ता/आवेदन कर मूखण्ड का नामहरस्ता-तारण/लीजोडिज जारी करनी हेतु

आवेदन किया गया है:-

क. मूखण्ड संख्या	नाम/पता	सामिति	नाम/निजी	जयिमा	बख्सावाला	नामहरस्ता-तारण/लीजोडिज	हैतु
1.	र-66	श्री सुमंकर ढोष पुत्र श्री	रघुपन ढोष	जयिमा	बख्सावाला	नामहरस्ता-तारण/लीजोडिज	हैतु
2	S-7	श्री संजीव सक्सेना पुत्र	श्री जगतनारायण	निजी खातेदारी	करतम कॉलोनी	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु
3	S-15	श्री संजीव सक्सेना पुत्र	श्री जगतनारायण	निजी खातेदारी	करतम कॉलोनी	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु
4	S-6	श्री संजीव सक्सेना पुत्र	श्री जगतनारायण	निजी खातेदारी	करतम कॉलोनी	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु
5	S-14	श्री संजीव सक्सेना पुत्र	श्री जगतनारायण	निजी खातेदारी	करतम कॉलोनी	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु
6	S-8	श्री संजीव सक्सेना पुत्र	श्री जगतनारायण	निजी खातेदारी	करतम कॉलोनी	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु
7	S-13	श्री संजीव सक्सेना पुत्र	श्री जगतनारायण	निजी खातेदारी	करतम कॉलोनी	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु
8	B-404	श्री लवानी सिंह पुत्र रव.	जयिमा	अभिभव विहार	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु	
9	471	श्रीमती माला स्वामी पत्नी	रव. श्री सुनिल कुमार	निजी खातेदारी	करतम	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु
10	203	श्री सुनील माहेरवरी पुत्र	श्री केशव चन्द माहेरवरी	निजी खातेदारी	गोवर्धन	लीज होल्ड से फी होल्ड	पट्टा हैतु

उक्त मूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहरस्ता-तारण/लीजोडिज जारी करने पर किसी अतिरिक्त, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस्त सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त मूखण्ड का नामहरस्ता-तारण/लीजोडिज जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्ता जॉन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिनिधि:-  
1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सांख्यिक सूचना के प्रकाशन हेतु भिजव है।  
2. राक्षित पत्रावली।

जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## सार्वजनिक सूचना


प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.रा.स. / गिजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती प्रियंका पति श्री राजेश कुमार मील	श्री अगिल कुमार पुत्र श्री. रागेश्वर सिंह कडवासा	19	166.00 वर्ग.	सिरसली गृ.नि. स.स.	रागेश्वरम्.	लीजडीड हेतु	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व सूची में नाम दर्ज करने हेतु

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

  
जयपुर जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 8277  
दिनांक 28-6-2023



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी-1838

दिनांक:- 30/6/23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	सी-17	408.00 व.ग.	श्रीमती अग्रवाल मोती	रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति	अशोक विहार	अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13  
जविप्रा, जयपुर

प्रशासन शहरी के रंग अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास आवाहन एवं स्वच्छता शोषण अभियान, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.जा. जयपुर दिनांक 28.09.2021 के तहत संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मॉडल में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव ही तो मध्य साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एचएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जलिया में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की

शाम का नाम	हाल खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर)	स्थानिक (प्राचीन जमाबन्दी अनुसार)
शिरसी तहसील-जयपुर	892	0.7588	1. अरविन्द कुमार जाट पुत्र प्रताप सिंह जाट हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार 2. श्री लक्ष्मी गुनि.स.स.लि. हिस्सा- 3/4 जयपुर जसिद मंत्री सत्यनारायण गुप्ता हि.न. 2737/एल सा. देह खातेदार
शिरसी तहसील-जयपुर	815	0.1644	1. श्री लक्ष्मी गुनि.स.स.लि. हिस्सा- पूर्ण जयपुर जसिद मंत्री सत्यनारायण गुप्ता हि.न. 2737/एल सा. देह खातेदार

अधिसूचना की जाणकारी में यह ज्ञात गया है कि निम्नलिखित खातेदारी क्षेत्रों में या उसके भाग में 17.02.1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिये उक्त मॉडल या उसके भाग के खातेदारी/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जसिद विक्रय पत्र/इकरारनामा मॉडल तैयार करने के कारण श्री लक्ष्मी गुनि.स.स. की योजना- बालाजी नगर के सदस्यों द्वारा इसका अर्कषि हस्तांतरित होने से ले लिया गया है।  
उक्त कारण से आपको एवं आपके पड़ोसियों/हस्तांतरितियों का कल्याण राजस्थान मू-राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपको खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपत्ति धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अधिनियम अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपत्ति धारा 90ए(5) एवं संपत्ति धारा 90ए(5) एवं संपत्ति राजस्थान अधिनियम अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रस्तावित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्प्राप्त कर लिया जावे।

**लोकसूचना**

संख्या 1301 दिनांक 30/6/2023  
राजस्थान मू-राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

{नियम 13(2) देखिए}

प्राकृतिक 13  
इन्दिरा साकेत जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-83/1

दिनांक 28/6/23

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फीट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का अग्र करे।

  
उपस्थित जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
 इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
 प्रारूप 13

**{नियम 13(2) देखिए}**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

हिरसा 83.11.....

**लोक सूचना**

दिनांक 28/6/23

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 12 अंश 1000 स  
 मूंडे की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग  
 के खातेदारी/कारिसान/दिलगारी लाजियों को एकादेश सूचित किया जाता है, कि आपके सामग्री/असलमती से या आपके द्वारा  
 जारी विकस पत्र, इकासनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की गौजवा गणेश नगर 0  
 विस्तार के सदस्यो द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनो उपयोग में ले लिया गया है।  
 एका कारण से आपका एव आपके परम्परावती हस्तांतरियों का कृष्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा  
 90 क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सम्पत्ति धारा 90ए(5) एव  
 राजस्थान अधिभूति अधिनियम की धारा 63 (11) और तदधीन कानो मने नियमों के उपबन्धों के प्राकमानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में  
 पूर्णतया योग्य है।  
 अतः ज्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की  
 धारा 90 "क" धारा 91 सम्पत्ति धारा 90ए(5) एव सम्पत्ति राजस्थान अधिभूति अधिनियम की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिनियम का  
 उपयोग करते हुये परिवर्तित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

धाम का नाम गय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	स्वामित्व
धाम	311/30	0.8384	रुद्रमल पुत्र सुजाराय दि पूर्ण जाति अहीर गादव सा हीरापुरा खातेदार
विनायकपुरावासा	313/35	0.7284	
नानूसार	34	0.4679	1 कालूराम पुत्र भीतर हिरसा 1/2 जाति गुजर सा देह खातेदार 2 श्योजीराम पुत्र कजोड हिरसा 1/2 जाति गुजर सा देह खातेदार
तहसील	33	0.5438	1 बीरू पुत्र भीतर हिरसा 1/2 जाति गुजर सा देह खातेदार 2 श्योजी पुत्र कजोड हिरसा 1/2 जाति गुजर सा देह खातेदार
जयपुर	36	1.6314	1 कजोड पुत्र भीरू हिरसा 1/2 जाति गुजर सा देह खातेदार 2 कालूराम पुत्र भीतर हिरसा 1/4 जाति गुजर सा देह खातेदार 3 कालूराम पुत्र भीतर हिरसा 1/4 जाति गुजर सा देह खातेदार
	41	1.3279	1 आनन्दी पुत्र गीधाउर्फगिठवारी हिरसा 1/420 जाति अहीर(गादव) सा गाद पीथावासा खातेदार 2 कजोड पुत्र भीरू हिरसा 1/210 जाति गुजर सा देह खातेदार 3 काम पुत्र गीधाउर्फगिठवारी हिरसा 1/420 जाति अहीर(गादव) सा गाद पीथावासा खातेदार
	318/32	0.3667	4 कालूराम पुत्र भीतर हिरसा 1/4 जाति गुजर सा देह खातेदार 5 गणेश पुत्र गोविन्दराम हिरसा 1/15 जाति जाट सा कनकपुरा खातेदार 6 बीरू पुत्र भीतर हिरसा 1/4 जाति गुजर सा देह खातेदार 7 गोलाराम पुत्र गोविन्दराम हिरसा 1/15 जाति जाट सा कनकपुरा खातेदार 8 रामनारायण पुत्र गोविन्दराम हिरसा 1/15 जाति जाट सा कनकपुरा खातेदार 9 सुवा पुत्र गीधाउर्फगिठवारी हिरसा 1/420 जाति अहीर(गादव) सा गाद पीथावासा खातेदार 10 हरि पुत्र गीधाउर्फगिठवारी हिरसा 1/420 जाति अहीर(गादव) सा गाद पीथावासा खातेदार
धाम नानूसार	54	0.5059 में से	1 कालूराम पुत्र भीतर हिरसा 1/2 जाति गुजर सा देह खातेदार 2 बीरू पुत्र भीतर हिरसा 1/2 जाति गुजर सा देह खातेदार
तहसील	56	0.4552	1 गणेशचरित पुत्र रूपचरित हिरसा 1/4 जाति राजपूत सा देह खातेदार
जयपुर	57	0.0759	2 जितेंद्रकुमार पुत्र अमरचरित हिरसा 1/12 जाति राजपूत सा देह खातेदार
	59	0.5438	3 मोहनचरित पुत्र रूपचरित हिरसा 1/4 जाति राजपूत सा देह खातेदार 4 राजकवर पति स्व अमरचरित हिरसा 1/12 जाति राजपूत सा देह खातेदार 5 सत्येन्द्रचरित पुत्र अमरचरित हिरसा 1/4 जाति राजपूत सा देह खातेदार 6 सुरेन्द्रकुमार पुत्र अमरचरित हिरसा 1/12 जाति राजपूत सा देह खातेदार



60	0.4047
61	0.2023
62	0.0759
69	0.5059
48	0.0126
49	0.8220
50	0.1897
28	0.5691
30	0.5059
17	1.9475
31	0.9358
32	1.4290
33	2.5548
36	0.1012
37	2.0234
40	0.1265
41	0.8600
42	1.0497
43	0.5438
44	0.5564
45	0.2656
53	0.4300

1. गुडडीकंवर पुत्र जगदीशसिंह हिस्सा- 1/9 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
2. नटवरसिंह पुत्र जगदीशसिंह हिस्सा- 5/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र गैरुसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
4. नाहरसिंह पुत्र जगदीशसिंह हिस्सा- 5/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
5. सपनाकंवर पुत्र जगदीशसिंह हिस्सा- 1/9 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
1. जसवंतसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
1. गुडडीकंवर पत्नी जगदीशसिंह हिस्सा- 1/72 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
2. जगदीप सिंह पुत्र खजान सिंह हिस्सा- 1/3 जाति- सिक्ख नि. 39 सीतानगर द्वितीय, हीरापुरा जयपुर खातेदार
3. जसवंतसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
4. धनसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
5. नावालिंग नटवरसिंह पुत्र जगदीशसिंह सरंक्षक नावा.सरक्षिका माता गुडडीकंवर पत्नी जगदीशसिंह हिस्सा- 1/72 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र गैरुसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
7. नाहरसिंह पुत्र जगदीशसिंह हिस्सा- 1/72 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
8. प्रेमसिंह पुत्र बहादुर सिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
9. वंशीलाल पुत्र सुखानामल शाह हिस्सा- 1/3 जाति- शाह नि 5/ संगम अपार्टमेंट,अलका सोसाइटी, छामरा रोड नवरात्री गुजरात खातेदार
10. वावूसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
11. भगवानसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
12. भवानीसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
13. मानसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
14. नावालिंग सपनाकंवर पुत्री जगदीशसिंह सरंक्षक नावा.सरक्षिका माता गुडडीकंवर पत्नी जगदीशसिंह हिस्सा- 1/72 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
15. सवाईसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
1. गुडडीकंवर पत्नी जगदीशसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
2. जसवंतसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
3. धनसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
4. नावालिंग नटवरसिंह पुत्र जगदीशसिंह सरंक्षक नावा.सरक्षिका माता गुडडीकंवर पत्नी जगदीशसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र गैरुसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
6. नाहरसिंह पुत्र जगदीशसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
7. प्रेमसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
8. वावूसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
9. भगवानसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
10. भवानीसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
11. मानसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
12. नावालिंग सपनाकंवर पुत्री जगदीशसिंह सरंक्षक नावा.सरक्षिका माता गुडडीकंवर पत्नी जगदीशसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
13. सवाईसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

न्यायिक विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.आ.आ.आ. दिनांक 28.09.2021 के वि-पु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त न्यायिक विकास एवं आवासन वाले खातेदार/धारि/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस के अन्तर्गत न 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जयप्रिया स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी न्यायिक विकास को प्रयोजित कर भूमि का मुन्यप्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/6/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-12 जयप्रिया, जयपुर  
o/c d

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102604

दिनांक: 30/06/2023

लोक सूचना

श्री HITESH ISRANI पुत्र श्री INDRESEN ISRANI जाति SINDHI निवासी 201, EVITA BUILDING, HIRANANDANI GARDENS, MUMBAI

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	महाराजपुरा, जयपुर (जयपुर)	HITESH ISRANI	146/57	11647	1.1647
				कुल	1.1647

इसलिए, इसके द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30-06-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102656

दिनांक: 30/06/2023

लोक सूचना

श्री SHIV KUMAR KEDIA पुत्र श्री SUNDER MAL KEDIA जाति MAHAJAN निवासी KEDIA HOUSE ,  
NADI KA PHATAK K PASS , MURLIPURA, JAIPUR 302039

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पुरुषोत्तमपुरा उर्फ बोयतावाला, जयपुर (जयपुर)	SHIV KUMAR BANSAL S/O SUNDAR MAL	167/96	11908	1.1908
				कुल	1.1908

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एराएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30-06-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1463

दिनांक 28.6.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बृजमोहन	श्रीमती मोहिन्दर कौर पत्नी श्री एस.मेजर सिंह	आवास संख्या जीएल-9	-	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा इत्यादि
2	श्रीमती हेमलता पत्नी श्री दिलीप धीरवानी	श्रीमती मनफुली बाई पत्नी श्री कन्हैयालाल	आवास संख्या सीएल-4	-	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा, मृत्यु प्रमाण-पत्र, वसीयतनामा इत्यादि
3	श्री कजोडमल गुर्जर पुत्र स्व. श्री रामकंवार गुर्जर	श्री किशन लाल गुर्जर पुत्र श्री रामकुमार गुर्जर	4/480	45 व.मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत वसीयतनामा मृत्यु प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड उपहार पत्र इत्यादि

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त  
ज. वि. प्रा. जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष- {0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी-2937

दिनांक:- 27/11/2023

### सार्वजनिक विज्ञप्ति

ग्राम नगरियावाला तहसील सांगानेर के ख.न. 569 रकबा 0.63 हैक्टे. ख.न. 570 रकबा 0.59 हैक्टे. ख.न. 571 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 579 रकबा 0.34 हैक्टे. ख.न. 580 रकबा 0.08 हैक्टे. ख.न. 581 रकबा 0.27 हैक्टे. खातेदार राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ख.न. 582 रकबा 0.29 हैक्टे. ख.न. 583 रकबा 0.22 हैक्टे. ख.न. 663 रकबा 0.10 हैक्टे. ख.न. 664 रकबा 0.18 हैक्टे. ख.न. 666 रकबा 0.12 हैक्टे. खातेदार नारायण पुत्र काना हि. 1/4, रामकुंवार पुत्र काना हि. 1/4, रामपाल पुत्र काना हि. 1/4, लक्ष्मीनारायण पुत्र काना हि. 1/4 ख.न. 577 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 578 रकबा 0.18 हैक्टे. ख.न. 584 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 585 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 586 रकबा 0.20 हैक्टे. ख.न. 587 रकबा 0.02 हैक्टे. ख.न. 588 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 589 रकबा 0.13 हैक्टे. 590 रकबा 0.12 हैक्टे. ख.न. 591 रकबा 0.09 हैक्टे. ख.न. 592 रकबा 0.04 हैक्टे. ख.न. 593 रकबा 0.04 हैक्टे. ख.न. 594 रकबा 0.08 हैक्टे. ख.न. 595 रकबा 0.05 हैक्टे. ख.न. 596 रकबा 0.07 हैक्टे. ख.न. 662 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 665 रकबा 0.19 हैक्टे. ख.न. 667 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.न. 668 रकबा 0.03 हैक्टे. खातेदार गोपाल हि. 1/5 चन्दा हि. 1/5 छोटु हि. 1/5 पांचू हि. 1/5 पुत्रान स्व. श्री गणेश, नारायणी पत्नी स्व. गणेश हि. 1/5 ख.न. 597 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 598 रकबा 0.23 हैक्टे. ख.न. 599 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.न. 600 रकबा 0.17 हैक्टे. ख.न. 601 रकबा 0.11 हैक्टे. ख.न. 602 रकबा 0.12 हैक्टे. ख.न. 603 रकबा 0.22 हैक्टे. ख.न. 604 रकबा 0.30 हैक्टे. ख.न. 655 रकबा 0.01 हैक्टे. खातेदार कानी पत्नी स्व. कल्याण हि. 1/9, बाबूलाल पुत्र कल्याण हि. 1/9, बालूराम पुत्र कल्याण हि. 1/9, मंगला पुत्र दयाला हि. 1/3, छोटा पुत्र दयाला हि. 1/3 जाति मीणा की भूमि की 90बी प्रकरण संख्या 270/2003 का निर्णय दिनांक 13.01.03 को पारित किया गया था। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर के नाम से सृजित की जा चुकी है।

वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर सृजित योजना के नियमन हेतु विकास समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस क्रम में राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक प. 1(4)भूअ./2023-24/211 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा उक्त योजना के नियमन की कार्यवाही करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में योजना के मानचित्र अनुमोदन कर लीजडीड जारी किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

027-  
उपायुक्त जॉन-9  
जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

017-  
उपायुक्त जॉन-9  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102632/ 29 36

DATED- 27/6/2023

## लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती सोनिया अग्रवाल पत्नि श्री गजानन्द अग्रवाल निवासी 1901 स्काई हाई टावर शंकरलेन विस्तार आरलेम मालाड (पश्चिम) मुम्बई द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का ~~निर्वापन~~ उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्रीमती सोनिया अग्रवाल पत्नि श्री गजानन्द अग्रवाल निवासी 1901 स्काई हाई टावर शंकरलेन विस्तार आरलेम मालाड (पश्चिम) मुम्बई	2435	0.3300 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 01	रकबा 0.3300 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ:आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकों पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और, मुहर के अधीन आज... 27/6/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9  
उपायुक्त जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर


प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन करायें जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुरा, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल {abusufiyan.ras@gmail.com}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-5/2023/डी-1475

दिनांक 28.6.23

## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	05	श्रीमती सरजू देवी मिर्धा पत्नी श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं श्री विजयपाल मिर्धा पुत्र श्री रिछपाल सिंह मिर्धा	श्रीमती सरजू देवी मिर्धा पत्नी श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं श्री विजयपाल मिर्धा पुत्र श्री रिछपाल सिंह मिर्धा	बी-105	आवासीय	न्यू पिकसिटी श्याम नगर	500.00 व. ग.	व्यावसायिक उपयोग (15 मीटर गहराई तक) व शेष क्षेत्र आवासीय	मिश्रित भू उपयोग

*Sd/-*  
उपायुक्त जोन-5  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

*Sd/-*  
उपायुक्त जोन-5  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये-जाने-के सम्बन्ध-में-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञप्ति प्रकाशन का कारण
1	श्री राकेश कुमावत पुत्र श्री रामलाल कुमावत	श्री रामलाल कुमावत पुत्र श्री झूथाराम कुमावत	176	340.00	शिल्पाचार्य	कल्याण कुज विस्तार	नियमन	उत्तराधिकार के आधार पर
2	श्री सुनील कुमावत पुत्र श्री रामलाल कुमावत	श्री गोपाल लाल चौधरी पुत्र श्री लादूराम चौधरी	171	350.00	शिल्पाचार्य	कल्याण कुज विस्तार	नियमन	उत्तराधिकार के आधार पर
3	श्री सुनील कुमावत पुत्र श्री रामलाल कुमावत	श्री गोपाल लाल चौधरी पुत्र श्री लादूराम चौधरी	171 172	40.00 295.00 पुर्नगठन	शिल्पाचार्य	कल्याण कुज विस्तार	नियमन	उत्तराधिकार के आधार पर
4	श्रीमती नीतू देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार	श्री मनोज कुमार चौधरी पुत्र श्री रामवतार चौधरी	40	100.00	खोराबीसल	श्रीगोविन्द नगर-ए	नियमन	सूची में नाम नहीं
5	श्रीमती राजकुमारी शर्मा पत्नी श्री अरविन्द कुमार शर्मा	श्रीमती बबीता शर्मा पत्नी श्री शंकर लाल शर्मा	28	111.11	खोराबीसल	श्रीगोविन्द नगर-ए	नियमन	सूची में नाम नहीं

जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

6	श्री विष्णु अग्रवाल. एवं श्री महेश अग्रवाल पुत्रान् वैधनाथ अग्रवाल	श्री सत्यनारायण दुसाद पुत्र श्री दामोदर लाल	241	185.00	सिन्धु नगर गृहनिर्माण समिति	स्कीम नम्बर 16 एवं 16 <sup>जी</sup>	नियमन	अंजीकृत दस्तावेज के आधार पर
---	---	---	-----	--------	-----------------------------------	--	-------	-----------------------------------

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-1968

दिनांक 28.06.2023

उपायुक्त जयपुर  
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बन्धित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल}